पत्रांक–02 / सिरीज–14 / 2015, परि0
बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेषक,

अरूणा कुमारी, बि0प्र0से,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
सिवान।

पटना, दिनांक .....

विषय :– **ई0 रिक्शा वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज का आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2996, दिनांक–05.11.2026 के संबंध में कहना है कि **जिला परिवहन कार्यालय पर ई0 रिक्शा वाहनों** के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज **BR-29RA** प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त्त के साथ दी जाती है कि वर्तमान चालू सिरीज **BR-29ER** में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस नयी सिरीज के अन्तर्गत निबंधन प्रारंभ किया जाएगा। इस आवंटित सिरीज में **निजी (गैर परिवहन)**, **मालवाहक** एवं **व्यावसायिक (परिवहन)** वाहनों का निबंधन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त पर राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 02 / सिरीज–14 / 2015, परि0 10249 पटना, दिनांक– 18-11-26

प्रतिलिपि :– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को ई0–ऑक्शन में समाहित करने हेतु सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18-11-26
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–02 / सिरीज–14 / 2015, परि0 10249

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

प्रेषक,

अरूणा कुमारी, बि0प्र0से,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
सिवान।

पटना, दिनांक 18.11.26

विषय :– **ई0 रिक्शा वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज का आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2996, दिनांक–05.11.2026 के संबंध में कहना है कि **जिला परिवहन कार्यालय पर ई0 रिक्शा वाहनों** के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज **BR-29RA** प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त्त के साथ दी जाती है कि वर्तमान चालू सिरीज **BR-29ER** में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस नयी सिरीज के अन्तर्गत निबंधन प्रारंभ किया जाएगा। इस आवंटित सिरीज में **निजी (गैर परिवहन)**, **मालवाहक** एवं **व्यावसायिक** (परिवहन) वाहनों का निबंधन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त पर राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

18-11-26

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।